मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-111/2011/2/34 भोपाल, दिनांक 21 AUG 2012

प्रति,

1- प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

2- प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित,
भोपाल।

विषयः- नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में नीति का निर्धारण।

राज्य शासन एतद् द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार नीति का निर्धारण किया जाता है:-

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना के संचालन एवं संधारण तदर्थ ग्राम स्वास्थ्य समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को उपलब्ध करा दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित् करनी होगी।
9. समूह नलजल प्रदाय योजनाओं में अंशदान की राशि योजना लागत के प्रतिशत के रूप में न ली जाकर सभी परिवारों की वहन क्षमता के आधार पर हुए निर्धारण के अनुसार जमा करनी होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.सी.चौधरी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

steno 12

पृ.क्रमांक एफ 16–111/2011/2/34 भोपाल, दिनांक 2 1 AUG 2012

प्रतिलिपिः–

1– समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग --------परिक्षेत्र -----------

2– समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल/परियोजना मण्डल-----------

3– समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/परियोजना खंड-------------

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग